रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] **नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2016/माघ 21, 1937**
No. 378] **NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2016/ MAGHA 21 , 1937**

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

का.आ. 443(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 39 के साथ पठित पैरा 30 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 2 फरवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 323(अ), तारीख 2 फरवरी, 2015 का आंशिक उपांतरण करते हुए केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और कर्मचारी भविष्य निधि के सामान्य प्रशासनिक व्ययों की बैठक के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों के सर्वव्यापी खाता सं. (यूएएन) का उपबंध करने वाले पात्र नियोजक के लिए निक्षेपित प्रशासनिक प्रभारों की बाबत प्रोत्साहन प्रतिदाय स्कीम विरचित करती है ।

प्रोत्साहन प्रतिदाय स्कीम अ: तिमाही के दौरान संदत्त प्रशासनिक प्रभारों के 10 प्रतिशत प्रतिदाय का दावा करने के लिए तिमाही में आने वाले प्रत्येक मास में अपने अभिदायी सदस्यों की बाबत यूएएन के संबंध में पात्र स्थापन को निम्नलिखित मानदंड प्राप्त करने होंगे:--

(i) प्ररूप सं.11 (नया) (80 प्रतिशत या अधिक) में यथा अपेक्षित सदस्यों के ब्यौरों का उपबंध करना;

(ii) सभी तीन दस्तावेज अर्थात् आधार (उपरोक्त (i) के कम से कम 80 प्रतिशत), बैंक खाता (उपरोक्त (i) के 100 प्रतिशत) और पैन (जहां कहीं लागू हों) संबद्ध (लिंक) करना;

(iii) यूएएन सक्रियण {उपरोक्त (i) के 100 प्रतिशत} करना ।

प्रोत्साहन प्रतिदाय स्कीम आ: तिमाही के दौरान संदत्त प्रशासनिक प्रभारों के 5 प्रतिशत प्रदाय का दावा करने के लिए तिमाही में आने वाले प्रत्येक मास में अपने अभिदायी सदस्यों की बाबत यूएएन के संबंध में पात्र स्थापन को निम्नलिखित मानदंड प्राप्त करने होंगे :--

(क) प्ररूप सं.11 (नया) {60 प्रतिशत या अधिक} में यथा अपेक्षित सदस्यों के ब्यौरों का उपबंध करना;

(ख) आधार {उपरोक्त (क) के 70 प्रतिशत}, बैंक खाता {उपरोक्त (क) 80 प्रतिशत} और पैन {जहां कहीं लागू हों} संबद्ध (लिंक) करना;

(ग) यूएएन सक्रियण (उपरोक्त (क) के 60 प्रतिशत) करना ।

2. प्रतिदाय के रूप में प्रोत्साहन मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही से आरंभ होने वाली प्रत्येक तिमाही के अंत में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार संदेय होगा और प्रतिदाय की स्कीम के लिए ऐसे स्थापन पात्र समझे जाएंगे जिन्होंने तिमाही के प्रत्येक मास में या तो प्रोत्साहन प्रतिदाय स्कीम 'क' या प्रोत्साहन प्रतिदाय स्कीम 'ख' में अर्हता के लिए मानदंड प्राप्त किए हैं।

3. प्रोत्साहन प्रतिदाय स्कीम 1 जनवरी, 2016 (अर्थात् जनवरी, 2016, अप्रैल, 2016, जुलाई, 2016 और अक्तूबर, 2016 को प्रारंभ होने वाली तिमाही के लिए) से 31 दिसंबर, 2016 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में होगी ।

[सं.जी-20025/5/2015-एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2016

S.O. 443(E).— In exercise of the powers conferred by the Explanation to paragraph 30 read with paragraph 39 of the Employee's Provident Funds Scheme, 1952 and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 323 (E), dated the 2nd February , 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd February, 2015, the Central Government, after consulting the Central Board and having regard to the resources of the Employee's Provident Fund available for meeting its normal administrative expenses, hereby frames an Incentive Refund Scheme in respect of administrative charges deposited for eligible employer for providing Universal Account Number (UAN) to all employees.

Incentive Refund Scheme A: To claim 10 per.cent refund of administrative charges paid during the quarters, the eligible establishment has to achieve the following criteria relating to UAN in respect of its contributing members in each of the month falling in the quarter:-

(i) providing member's details as required under Form No. 11 (New) (80 per.cent or above);

(ii) seeding of all the three i.e. AADHAR (at least 80 per.cent of (i) above), Bank A/c {100 percent of (i) above} and PAN (wherever applicable);

(iii) UAN activation {100 per.cent of (i) above}.

Incentive Refund Scheme B: To claim 5 per.cent refund of administrative charges paid during the quarter, the eligible establishment has to achieve the following criteria relating to UAN in respect of its contributing members in each of the month falling in the quarter:-

(a) providing member's details as required in Form No. 11 (New) {60 percent or above};

(b) seeding of AADHAR {70 percent of (a) above }, Bank A/c (80 per.cent of (a) above } and PAN (wherever applicable);

(c) UAN activation {60 percent of (a) above}.

2. The incentive by way of refund shall be payable at the end of every quarter starting from quarter ending March, 2016, as per procedure prescribed by the Central Provident Fund Commissioner and only such establishments shall be considered eligible for the scheme of refund which have in each month of the quarter achieved the criteria for qualification either in Incentive Refund Scheme 'A' or Incentive Refund Scheme 'B'.

3. The Incentive Refund Scheme shall be in operation for one year with effect from **1st January, 2016 to 31st December, 2016** (i.e. for the quarters beginning January, 2016, April, 2016, July, 2016 and October, 2016).

[No.G-20025/5/2015-SS.II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.